

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 442/दो-11-13/23

नर्मदापुरम, दिनांक 22.04.2026

सुश्री भानुप्रिया चौरे, साक्ष्य लेखक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी का मात्र दिनांक 28.04.2026 से 30.04.2026 तक कुल 03 दिवस का अर्जित अवकाश, पश्चात्तर्वी सार्वजनिक अवकाश दिनांक 01.05.2026 से 03.05.2026 के लाभ सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 220 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

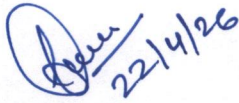
Sc
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क01772/दो-11-13/23

नर्मदापुरम, दिनांक 22.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं सुश्री भानुप्रिया चौरे, साक्ष्य लेखक, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


22/4/26
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)